न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अभिषेक गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/18/2019 वाद दायर दिनांक 30.05.2019

उनवान

1. अमरचन्द पिता दौला जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. डालु पिता लैला जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. मोती पिता लैला जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. रामा पिता लैला जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. प्रेमा पिता देवा जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. हीरा पिता देवा जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. रतना पिता सेवा जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. डूगां पिता सेवा जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. लालू पिता सेवा जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. जमनालाल पिता शंकर जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. सोहन पिता शंकर जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. छोगा पिता गोपी जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. प्यारा पिता गोपी जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
14. भंवर पिता हेमा जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. सेहनी पत्नी हेमा जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
16. मांगू पिता गंगाराम जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
17. भैरू पिता गंगाराम जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गमेरा पिता दल्ला जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. भगवाना पिता दल्ला जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. नन्दू पत्नी हमेरा जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. चुना पिता हरिराम जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. मदन पिता हरिराम जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. नारायण पिता मेघा जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. रामा पिता गुलाब जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. घनश्याम पिता गुलाब जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. मगनी बेवा गुलाब जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. लेहरी बेवा गुलाब जाति रेगर निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. तहसीलदार कपासन जिला चित्तौडगढ।

अभिषेक गोयल
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी कपासन

Scanned by CamScanner

2. पटवारी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 30-7-2019

—:निर्णयः—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा ग्राम सुरपरी पटवार हल्का सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सयुक्तं कब्जे काश्त की मौरूसी मिल्कियत की साबिक आराजी संख्या 9/2 मी0, आ0स0 29, आ0स0 27/2, कुल रकबा 5 बीघा 1 बीस्वा स्थित है। जिसके हाल आराजी संख्या 111 रकबा 0.04 है0, आ0स0 62 रकबा 0.08 है0, आ0स0 63 रकबा 0.03 है0, आ0स0 64 रकबा 0.03 है0, आ0स0 65 रकबा 0.03 है0, आ0स0 66 रकबा 0.03 है0, आ0स0 67 रकबा 0.03 है0, आ0स0 68 रकबा 0.03 है0, आ0स0 69 रकबा 0.04 है0, आ0स0 71 रकबा 0.05 है0, आ0स0 72 रकबा 0.12 है0, आ0स0 73 रकबा 0.03 है0, आ0स0 74 रकबा 0.12 है0, आ0स0 75 रकबा 0.12 है0, आ0स0 76 रकबा 0.12 है0, आ0स0 77 रकबा 0.11 है0, आ0स0 78 रकबा 0.10 है0, कुल किता 17 कुल रकबा 1.11 है0 स्थित है। उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण का 1/2 हक हिस्सा निहित है।

उक्त आराजीयात मृतक उदा को आंवटन हुई लकिन उदा के मृत्यु उपरांत राजस्व कर्मचारियों कि गलती कि वजह से मृतक उदा के विधिक वारिसान की सही तस्दीक नही कर नियम कानून को दर किनार कर मृतक उदा के एक पुत्र मोटा को बना कर उदा जी के दुसरे पुत्र करमा का हक 1/2 हक हिस्सा जाया कर दिया, और मृतक उदा का विरासत इन्तकाल मोटा के नाम खोलकर सम्पूर्ण अराजीयात मोटा व मोटा के वारीसान के नाम खातेदारी दर्ज हुई। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के दादा परदादा के नाम साबिक जमाबन्दी में गलती से उदा पिता वरदा के बजाय उदा पिता मोटा दर्ज हो गया जबकि मोटा उदा का पुत्र है, इस कारण राजस्व कर्मचारियों ने गलती से उक्त सम्पूर्ण हिस्सा मोटा व मोटा के वारीसाान के नाम दर्ज कर दिया इसलिए साबिक जमाबन्दी में उदा पिता मोटा के बजाय उदा पिता वरदा के नाम इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है एवं उक्त आराजीयात में 1/2 हक हिस्से का अधिकारी होने से

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

इन्द्राज दुरूस्ती कर प्रार्थीगण के पक्ष में 1/2 हक हिस्सा खातेदारी दर्ज करा हाल राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के खातेदारी अंकित होने तक प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश इस आशय का जारी फरमाया जावें कि आप्रार्थीगण प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल नही करें, कब्जे में दखलंदाजी नही करें, उक्त वर्णित अराजीयात को रहन बह, बक्षीस, बेंचान, नही करें, न स्वंय करे न अपने किसी ऐंजेंट से ऐसा करावें। अप्रार्थी संख्या 11 व 12 इन्द्राज दुरूस्ती कि डिक्रि प्रार्थीगण के पक्ष में होने तक हाल राजस्व में किसी तरह का परिवर्तन नही करें, मौके की यथास्थिति बनाएं रखें।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात मोटा पिता उदा की है जो संवत 2009 से 2012 के रोटेशन में उदा पिता मोटा के नाम से दर्ज हो गई जबकि इससे पूर्व मेवाड सेटलमेंट में मोटा पिता उदा के नाम दर्ज थी। राजस्व रेकार्ड में उदा पिता मोटा के नाम दर्ज होने से विरासत का इंतकाल नहीं खुल पाया था बाद में विपक्षीगण द्वारा पटवारी को मेवाड सेटलमेंट की नकल दिखा कर शुद्वि पत्र भरकर मोटा के वारिसों के नाम इंतकाल खोला गया न कि राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत कर। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में हुई अशुद्वि का नाजायज फायदा उठा उक्त आराजी उदा की बता कर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का नहीं होकर विपक्षीगण के पक्ष का है और अकथनीय क्षति का तथ्य एवं सुविधा का सतुंलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्य अंकित किये है अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में बन्दोबस्त जागीरात मेवाड पानडी की फोटो प्रति, राजस्व रसीदों की फोटो प्रति, साबिक जमा बन्दी 2016–2019, हाल जमाबन्दी 2074–77 की फोटोप्रतिया, मिलान क्षैत्रफल व इन्तकाल कि फोटोप्रतियां पेश की गई। जबकि अप्रार्थी की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन मे मेवाड सेटलमेट जमाबन्दी का फोटो प्रति, खसरा गिरदावरी की फोटोप्रतियां पेश की ।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ताहद की। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि

Scanned by CamScanner

मुद्रक : दवे प्रिन्टर्स, उदयपुर फोन न. : 510137

उक्त वादग्रस्त आराजीयात के साबिक आराजी 29, आ0स0 27/2 प्रतिवादीगण द्वारा पेश मेवाड सेटलमेंट जमाबन्दी अनुसार मोटा पिता उदा के नाम दर्ज है।

वादीगण द्वारा जो बन्दोबस्त जागीरात मेवाड पानडी संवंत 1991 पेश कि गई है उसमें मोटा पिता उदा तथा करमा पिता उदा के नाम पर जो खसरा नम्बर दर्ज है वे उक्त वादग्रस्त आराजीयात के साबिक नम्बर से मेल नही खाते है। जहां तक कब्जे का प्रश्न है, वादीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे वादीगण का प्रथम दृष्टया कब्जा दर्शित हो, इसके विपरित अप्रार्थीगण ने जो मेवाड़ सेटलमेंट की खसरा गिरदावरी पेश कि है उससे उक्त वादग्रस्त विवादित आराजीयात पर मोटा पिता उदा का कब्जा प्रतीत होता है।

अतः वादीगण प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु ही अपने पक्ष में साबित नही कर पाया है। यदि फिर भी अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर किसी भी दृष्टि से पाबन्द किया जाता है तो तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा अप्रार्थीगण को कारित होगी क्योंकि वे अपने स्वामित्व, कब्जे तथा मालिकाना हक की संपति का ही उपयोग उपभोग व अंतरण नही कर पाएंगे।

चूकिं प्रार्थीगण, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपुरणीय क्षति के तीनों बिन्दू अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

परिमाणतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उपरोक्त विवेचन का मूल वाद के गुणवगुण पर कोई विपरित प्रभाव नही समझा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद 44/2019 के साथ सलग्न रहे।

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner